मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय
पूर्व मध्य रेल, धनबाद.

——अधिसूचना——

विषय :– सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सभी कैडर के स्थापना एवं वेतन विपत्र संबंधी सारे कार्य कार्मिक विभाग द्वारा किये जाने के संबंध में।

एतद् द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सभी कैडर के स्थापना एवं वेतन विपत्र संबंधी सारे कार्यों के निष्पादन के संबंध में निम्नलिखित प्रशासनिक निर्णय लिये गये हैं :–

1. सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सारे संवगों को कार्मिक विभाग, धनबाद में हस्तांतरित किया जाएगा तथा भविष्य में सभी कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थानांतरण, पदस्थापना, वरीयता, सेवा–पुस्तिकाओं का अनुरक्षण, वेतन विपत्र इत्यादि सभी कार्य कार्मिक विभाग द्वारा किये जाएंगे।
2. इसके लिए एक अलग अनुभाग बनाया जाएगा।
3. सारे संबंधित रिकार्ड, फाइलें, सेवा–पुतिस्काएं इत्यादि कार्मिक विभाग के अंतर्गत इस नये अनुभाग में हस्तांरित किये जाएंगे।
4. इस नये अनुभाग में सारे कार्य ***इंजीनियरिंग विभाग के लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों*** द्वारा निपटाये जाएंगे जो कार्मिक विभाग के मुख्य कार्यालय अधीक्षकों के पर्यवेक्षण में सम्पन्न होंगे।
5. इस हेतु निम्नलिखित संख्या में ***इंजीनियरिंग विभाग के लिपिक संवर्गीय*** कर्मचारियों का स्थानांतरण कार्मिक विभाग में किया जाएगाः–

Category	S/S	MOR	No. of staff to be transferred to Personnel Branch
Ch.OS	30	25	12
OS	83	56	40
Sr.Clerk	23	08	04
Junior Clerk	03	20	10
Total	**139**	**109**	**66**

(नोट :–स्थानांतरित किये जाने वाले कर्मचारियों की वरीयता एवं लियन अगले आदेश/निर्णय तक इंजीनियरिंग विभाग में यथावत् रहेगी)

6. नये अनुभाग में कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 35 अलमाारियाँ, 66 कुर्सी–टेबुल एवं प्रिंटर के साथ 20 कम्प्यूटर इंजीनियरिंग विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाएंगे।
7. जिन संवर्गों के कमर्चयरियों की वरीयता यूनिट कम से (on ADEN or SSE/PW, SSE/W level) अनुरक्षित की जाती है, उन सबकी वरीयता मंडल स्तर पर संबंधित संवर्ग में एकीकृत रूप में अनुरक्षित की जाएगी ताकि कर्मचारियों को वरीयता कम में समान रूप से पदोन्नति का लाभ मिल सके।
8. आवश्यक होने पर भविष्य में यथासमय अन्य निर्णय लिये जा सकेंगे।

उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में सभी ADENs/PWIs/IOWs से आग्रह है कि वे अपने अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों की सेवा–पुस्तिकाएँ (सभी दस्तावेजों के साथ), छुट्टी खाते, संबंधित फाइलें, रजिस्टर इत्यादि अद्यतन (up tp date) रखें ताकि मांगे जाने पर तत्काल उपलब्ध कराये जा सकें। उनसे यह भी आग्रह है कि **31 दिसम्बर, 2020** तक सेवा–निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची अलग से बनाकर रखें तथा उनकी सेवा–पुस्तिकाएँ विशेष रूप से अद्यतन (up tp date) रखें। साथ ही जो कर्मचारी दूसरे मंडल/रेल से स्थानांतरित होकर धनबाद

पृष्ठ–2 पर जारी.....

मंडल में आये हैं और जिनकी सेवा–पुस्तिकाएँ प्राप्त नहीं हुई हैं, उन्हें मंगाने हेतु तत्काल कार्रवाई की जाए तथा उन कर्मचारियों की भी अद्यतन सूची तैयार रखी जाए जिनकी सेवा–पुस्तिकाएँ प्राप्त नहीं हुई हैं।

9. जब तक सारे कैडर पूरी तरह से कार्मिक विभाग को हस्तांतरित नहीं हो जाते हैं, तब तक इंजीनियरिंग विभाग के स्थापना एवं वेतन विपत्र संबंधी तथा अन्य कार्य यथावत् इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किये जाते रहेंगे।

उपरोक्त प्रशासनिक निर्णय पर **Sr.DEN/C/DHN** एवं मान्यताप्राप्त यूनियन **(ECRKU)** की सहमति तथा **मंडल रेल प्रबंधक महोदय** का अनुमोदन प्राप्त है।

(त्रिलोक नाथ वर्मा)
सहायक कार्मिक अधिकारी
कृते वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, धनबाद.

संख्या–E/Engg/Policy/Cadre transfer/18 धनबाद, दिनांक 08/05/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :–

1. मंरेप्र/धनबाद के निजी सचिव को मंरेप्र महोदय के सादर सूचानार्थ।
2. अमंरेप्र महोदय/धनबाद को सादर सूचनार्थ।
3. वमइंजी (समन्वय)/धनबाद को सूचनार्थ। उनसे आग्रह है कि सभी संबंधित को यथोचित निदेश जारी करें ताकि मांगे जाने पर सारे रिकार्ड, फाइलें, रजिस्टर, सेवा–पुस्तिकाएँ इत्यादि तत्काल उपलब्ध हो सकें।
4. व.मं.वित्त प्रबंधका/धनबाद।
5. सभी सहायक मंडल अभियंता, धनबाद मंडल।
6. मकाधि एवं सभी सकाधि, धनबाद मंडल।
7. अपर महासचिव, ईसीआरकेयू/धनबाद।
8. मंडल सचिव–AIOBCA & AISCTA, धनबाद।
9. मुकार्याधी/स्थापना एवं एमपीपी/धनबाद।
10. मुकार्याधी/ईओ/धनबाद।
11. मुकार्याधी/वेतन विपत्र/धनबाद।
12. मुकार्याधी/ईजीआरएस/धनबाद।
13. मुकार्याधी/भर्ती प्रकोष्ठ/धनबाद
14. अन्य सभी संबंधित/धनबाद मंडल।

8/5/19

कृते वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, धनबाद.